छत्तीसगढ़ शासन
जेल विभाग
विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

केबिनेट मंत्री– – मान्नीय श्री राम विचार नेताम –18.06.2005 से निरंतर

संसदीय सचिव – मान्नीय श्री राम सेवक पैकरा –18.06.2005 से निरंतर

मंत्रालय

अपर मुख्य सचिव	–	श्री बी.के.एस. रे	–	07.11.2005 से निरंतर
सचिव	–	श्री आर.पी. जैन	–	25.07.2005 से निरंतर
अवर सचिव	–	श्री आर.पी.वर्मा	–	16.05.2006 से निरंतर
अनुभाग अधिकारी	–	श्री गोपाल सिंह	–	12.09.2006 से निरंतर

विभागाध्यक्ष

महानिदेशक एवं	–	श्री बासुदेव दुबे	–	01.10.2002 से 31.12.2006 तक
जेल महानिरीक्षक (चालुप्रभार)	–	श्री पी.डी. वर्मा	–	01.01.2007 से निरंतर

विभागाध्यक्ष के सहयोगी अधिकारी

जेल उप महानिरीक्षक	–	श्री पी.डी. वर्मा
सहायक जेल महानिरीक्षक	–	डॉ. के.के. गुप्ता
वित्त अधिकारी	–	श्री के.के. सिन्हा
विधि अधिकारी	–	रिक्त
मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	–	श्री आर.के. शुक्ला (जिला जेल राजनांदगाव में जेल अधीक्षक चालुप्रभार के पद पर पदस्थ)

उद्योग अधीक्षक — रिक्त

उप अधीक्षक उद्योग — श्री श्याम कुमार नायडू
(के. जे. रायपुर से संबंद्ध)

जेल मुख्यालय के स्वीकृत, भरे, एवं रिक्त पदो की सूची

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	जेल महानिरीक्षक	01	01	—
2.	जेल उपमहानिरीक्षक	01	01	—
3.	सहायक जेल महानिरीक्षक	01	01	—
4.	वित्त अधिकारी	01	01	—
5.	विधि अधिकारी	01	—	01
6.	उद्योग अधीक्षक	01	—	01
7.	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	01	01	—
8.	कार्यालय अधीक्षक	01	—	01
9.	सहा. आंत. लेखा अधिकारी	02	01	01
10.	सहा. सांख्यिकीय अधिकारी	01	—	01
11.	सहायक ग्रेड–1	04	02	02
12.	शीघ्र लेखक	01	01	—
13.	लेखा परीक्षक वरिष्ठ	02	—	02
14.	लेखा परीक्षक कनिष्ठ	02	—	02
15.	लेखापाल	03	01	02
16.	सहायक ग्रेड–2	03	03	—
17.	संगणक (कम्प्यूटर आपरेटर)	01	—	01
18.	सहायक ग्रेड–3	09	04	05
19.	स्टेनो टायपिस्ट	01	—	01
20.	प्रहरी	02	—	02
21.	प्रहरी अर्दली	02	—	02
22.	वाहन चालक	02	01	01
23.	चौकीदार	01	—	01
24.	भृत्य	04	03	01
25.	स्वीपर	01	—	01
26.	जमादार	01	—	01
	योग	**50**	**21**	**29**

<u>भाग – एक</u>

विभागीय संरचना

अ. <u>विभागाध्यक्ष कार्यालय</u> –

जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत केवल एक विभागाध्यक्ष कार्यालय जेल मुख्यालय है, इसके अतिरिक्त संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर कोई प्रशासनिक कार्यालय स्थापित नही हैं।

प्रदेश में विभिन्न कार्यरत जेलों की संख्या एवं श्रेणी का विवरण निम्नानुसार हैं :–

अ. <u>केन्द्रीय जेलें</u>

1. रायपुर
2. बिलासपुर
3. जगदलपुर
4. अंबिकापुर

ब. <u>जिला जेलें</u>

1. दुर्ग
2. रायगढ़
3. जशपुर
4. बैकुण्ठपुर
5. कोरबा
6. राजनांदगांव

स. <u>उप जेलें</u>

1. कांकेर
2. डोंगरगढ
3. बेमेतरा
4. संजरी बालोद
5. धमतरी

6. गरियाबंद
7. महासमुंद
8. बलौदाबाजार
9. सुकमा (शासन आदेशानुसार अस्थाई रूप से वर्तमान में यह जेल बंद किया गया है।)
10. दन्तेवाड़ा
11. नारायणपुर(वर्तमान में शासन आदेशानुसार अस्थाई रूप से यह जेल बंद किया गया है।)
12. जांजगीर
13. पेन्ड्रारोड
14. सूरजपुर
15. रामानुजगंज
16 कटघोरा
17. मनेन्द्रगढ़

उक्त जेलों पर जेल मुख्यालय का सीधा नियंत्रण हैं ।

<u>सर्किल जेलें</u> –

जेल विभाग के अन्तर्गत संभाग एवं जिला स्तर पर कोई कार्यालय स्थापित नही है, सभी जेलों का संबंध जेल मुख्यालय से होता हैं। किन्तु प्रदेश के दूरांचल में स्थापित जेलों की प्रशासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये समस्त जेलों को 05 अंचल (सर्किल) में बांटा गया है। प्रदेश में वर्तमान में निम्नांकित 05 सर्किल जेल है :–

1. रायपुर
2. बिलासपुर
3. जगदलपुर
4. अंबिकापुर
5. दुर्ग सर्किल जेल

इन 05 सर्किल जेलों के अंतर्गत कार्यरत 05 जिला जेल तथा 17 उप जेलें आती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के सर्किल जेलों के अधीनस्थ कार्यरत जिला जेल तथा उप जेलें

- के.जे.रायपुर ;1द्ध
  - अधीनस्थ जेलें
    - उ.जे. गरियाबंद
    - उ.जे. धमतरी
    - उ.जे. महासमुंद
    - उ.जे. बलौदाबाजार
- के. जे. बिलासपुर ;2द्ध
  - अधीनस्थ जेलें
    - उ..जे जांजगीर
    - जि.जे. कोरबा
    - जि.जे. रायगढ़
    - उ.जे. पेण्ड्ररोड
    - उ.जे. कटघोरा
- के. जे. जगदलपुर ;3द्ध
  - अधीनस्थ जेलें
    - उ.जे. कांकेर
    - उ.जे. दंतेवाडा
    - उ.जे. सुकमा
    - उ.जे. नारायणपुर
- के. जे. अंबिकापुर ;4द्ध
  - अधीनस्थ जेलें
    - जि..जे जशपुर
    - जि.जे. बैकुण्ठपुर
    - उ..जे. सूरजपुर
    - उ.जे. रामानुजगंज
    - उ.जे. मनेन्द्रगढ
- सर्किल जेल दुर्ग ;5द्ध
  - अधीनस्थ जेलें
    - उ.जे. डोंगरगढ
    - जि.जे. राजनांदगाव
    - उ.जे. बेमेतरा
    - उ.जे. संजरीबालौद

जेलों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां वर्ष 2006

1. केन्द्रीय जेल रायपुर द्वारा 26 जनवरी 2006 गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंदियों द्वारा प्रस्तुत झांकी को प्रथम स्थान।
2. केन्द्रीय जेल रायपुर जेल की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 15 नग वॉकी–टॉकी सेट उपलब्ध ।
3. केन्द्रीय जेल रायपुर को फायर फायंटिग मशीन उपलब्ध किया गया ।
4. केन्द्रीय जेल रायपुर द्वारा मुंगौडी सेंटर से लगभग 77 हजार रूपये की आय ।
5. केन्द्रीय जेल रायपुर में गौशाला आनंद जैन गौशाला सुचारू रूप से संचालित है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 140 लीटर दूध बंदियों हेतु प्राप्त किया जा रहा है ।
6. केन्द्रीय जेल रायपुर में विधिक सहायता के अन्तर्गत प्रत्येक शनिवार को जेल परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 20 प्रकरण निराकृत किया गया है ।
7. केन्द्रीय जेल रायपुर में वर्ष 2006 में विभिन्न जेल उद्योगों से रूपये 62,24,487/– आय ।
8. केन्द्रीय जेल रायपुर में महिला बंदियों द्वारा एम्ब्रायड्ररी प्रशिक्षण, पृथ्क पाकशाला, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, नेपकीन प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है
9. उपजेल महासमुन्द में विधिक सहायता शिविर का क्रियान्वयन ।

10. जिला जेल दुर्ग को 26 जनवरी 2006 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ।
11. जिला जेल दुर्ग में सेटेलाईट रेडियो की स्थापना ।
12. जिला जेल दुर्ग में वॉकी–टॉकी एवं सर्च लाईट की स्थापना ।
13. जिला जेल दुर्ग में नेत्र शिविर का आयोजन जिसमें 35 बंदियों को चश्मा वितरण किया गया ।
14. जिला जेल दुर्ग में सेंट थामस आश्रम भिलाई द्वारा नियमित रूप से कम्प्यूटर के बेसिक कोर्स प्रशिक्षण महिला बंदियों को सिलाई, बुनाई, एवं महिला बंदियों के बच्चों हेतु नर्सरी जेल परिसर में प्रारंभ किया गया है ।
15. जिला जेल दुर्ग में केयर इण्डिया रायपुर एवं उनकी सहयोगी संस्था बीएमएसएस द्वारा बंदियों को एड्स के बारे में जानकारी दिया जाना
16. जिला जेल राजनांदगांव में दिनांक 28.12.2006 को जेल अस्पताल का उद्घाटन एवं प्रिटिंग प्रेस का शुभारंभ मान्नीय श्री मेधाराम साहू, जिला प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया ।
17. उप जेल डोंगरगढ़ में लायन्स क्लब द्वारा दिनांक 1.11.2006 को बंदियों के मनोरंजन हेतु वाद्य यंत्र एवं कैरमबोर्ड सेट प्रदाय किया गया ।
18.. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों हेतु कपड़े एवं विचाराधीन बंदियों हेतु गर्म कपड़े दिया जाना ।
19. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में महिला खण्ड में पाठशाला का शुभारंभ एवं झूला घर लगाया जाना ।
20. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में जैन समाज द्वारा श्यामा गाय प्रदाय किया गया
21. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में योगाभ्यास का शुभारंभ ।

22. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में पुरूष बंदियों हेतु साक्षरता कार्यक्रम संचालित करना ।
23. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में बंदी बैंड ग्रुप को पुनः शुरू किया जाना ।

सूचना के अधिकार –

राज्य शासन के द्वारा विभागों के कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिये सूचना का अधिकार प्रारंभ किया हैं प्रदेश की समस्त जेलों से निम्न जानकारी निर्धारित शुल्क जमा करने पर **01 माह** में जानकारी प्रदान किए जाने की व्यवस्था हैं ।

1. बंदियों की सजा अवधि से संबंधित रिकार्ड की छायाप्रति बंदियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के आदेश/निर्देश की छायाप्रति कैदियों को जेल प्रवेश से रिहाई दिनांक तक के रिकार्ड की प्रति ।
2. जेल नियमों के उल्लंघन करने पर बंदी को नियमानुसार दिये गये दण्डादेश की प्रति ।
3. जेल में बंदी की हुई मृत्यु विषयक समस्त रिकार्ड/जांच आदि की प्रतियां
4. बंदी के खाते में जमा पारिश्रमिक की राशि एवं उसके खर्च के विवरण के रजिस्टर की प्रति ।
5. जेलों पर क्रय की जाने वाली सामग्रियां की निविदा सूचना की प्रति निविदाओं के तुलनात्मक पत्रक की प्रतिलिपि निविदा स्वीकृति एवं आदेश की प्रतिलिपि अनुबंध की प्रतिलिपि एवं आदेशों की प्रतिलिपि ।

सिटीजन चार्टर

सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत बंदियों तथा रिश्तेदारों को दिनांक 15.02.1999 से निम्न सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं :–

1. जेल विजिटर्स	**1.**	**अधिकारिक विजिटर्स**
	क	पुलिस महानिरीक्षक
	ख	स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक
	ग	जिला एवं सत्र न्यायाधीश
	घ	अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक
	ड	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
	च	संभागीय मजिस्ट्रेट
	छ	सिविल सर्जन एवं चिकित्सा अधिकारी (नियम 814)
	2.	**अनाधिकारिक विजिटर्स**
	क	क्षेत्रीय विधायक
	ख	शासन द्वारा प्रत्येक 03 वर्ष हेतु नियुक्त अशासकीय संदर्शक
	1.	केन्द्रीय जेल – 04 जिला जेल 06 उप
	2.	जेलें 17
	3.	विजिटर्स बोर्ड द्वारा प्रत्येक 03 माह मे
	4.	एक बार जेल का निरीक्षण (815)
	5.	विजिटर्स रोस्टर (नियम 816)
	6.	विजिटर्स के कर्तव्य (नियम 817)
	7.	विजिटर्स प्रश्नावली (नियम 820)
	8.	विजिटर्स नोट बुक

जेल रहवासियों की शिकायत	**1.**	**शिकायत**
	क	जेलर एवं अष्टकोण अधिकारी को दिन में कभी भी निम्न मामलों में :– अ. बुरे व्यवहार ब. अपील स. शिकायतें एवं अभ्यावेदन (635)

ख. अधीक्षक को सभी मामलों की शिकायत

अ. जिला जेलों में प्रतिदिन

ब. केन्द्रीय जलों में 02 दिन में एक बार (635)

2. अपराधिक शिकायत

समस्त जेल अधीक्षकों के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को (636)

नोट – जेल के रहवासियों को प्रतिदिन किसी भी समय जेलर एवं अष्टकोण अधिकारी को तथा उनके माध्यम से जेल अधीक्षक को शिकायत करने का पूर्ण अधिकार हैं।

कैदी द्वारा प्लीडर की नियुक्ति तथा लेखन सामग्री की उपलब्धता

क्र	(अ)	(ब)
1	अपील करने के इच्छुक कैदियों को निःशुल्क लेखन सामग्री 759	दायित्व (1) जेल अधीक्षक
2	न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि 30 दिनों में निःशुल्क	दायित्व (2) न्यायालय जेल अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे ।
3	निर्णय पढ़ कर सुनाया जायेगा	दायित्व (3) जेल अधीक्षक पर
4	प्लीडर की नियुक्ति तथा विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी(परिपत्रक्रमांक 155/321/याचिका दिनांक 22/10/90)	दायित्व (4) जेल अधीक्षक पर
5	कैदियों के एडवोकेट या मित्रों को अपील के ज्ञापन के संबंध में संपर्क स्थापित करने की अनुज्ञा (762)	दायित्व (5) जेल अधीक्षक पर

उच्च अधिकारियो को शिकायत अग्रेषित करने के लिए प्रक्रिया

क्र.	(अ)	(ब)
क	जेल अनुशासन के मामले में	1. जेलों के अनुशासन को प्रभावित करने वाले मामलों में दण्डाधिकारी/जेल के नियम के अधीन 2. जिला एवं उप जेलों के जेल अधीक्षक जिला दंडाधिकारी के आदेश के अधीन (जेल नियम 80)
ख	पत्र व्यवहार	1. रोजमर्रा का पत्र व्यवहार जेल अधीक्षक एवं जेल महानिरीक्षक से सीधे होगा। 2. असाधारण और महत्वपूर्ण विषयों पर जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से होगा (जेल नियम 81) 3. कुप्रबंध या महत्वपूर्ण स्वरुप के अन्य मामलों में पत्र व्यवहार संभागायुक्त के माध्यम से होगा ।

मुलाकात एवं पत्र व्यवहार की सुविधा

अ	ब
क नये दण्डित कैदियों को	1. जेल अधीक्षक द्वारा अपील करने या जमानत करने हेतु अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मुलाकात या पत्र व्यवहार की युक्तियुक्त सुविधा।
	2. मृत्युदण्ड के कैदी को कानूनी सलाहकारों मित्रों एवं रिश्तेदारों से भेंट एवं सूचनाएं हेतु युक्तियुक्त सुविधा (नियम 673)
ख प्रत्येक दण्डित कैदियों को	**जेल अधीक्षक द्वारा**
	1. अच्छे आचरण पर अनुमति 2. माह में एक बार मुलाकात या पत्र 3. अतिरिक्त पत्र सुविधा जो कि विनिमय शील नही होगी ।

		4. दोषसिद्ध के पश्चात किसी भी समय भेंट तथा पत्र की सुविधा। 5. जेल से अन्यत्र जेल अन्तरण पर अन्तरण के पूर्व भेंट तथा पत्र सुविधा (676)
ग	**विशेष शिकायतें**	**जेल अधीक्षक द्वारा**
		1. एक समय में तीन से अधिक व्यक्ति के मुलाकात हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी। 2. विशेष मामलों में जेल अधीक्षक कम अन्तराल में भी मुलाकात या पत्र की सुविधा प्रदान कर सकता हैं । 3. कैदी के खराब आचरण या अवचार के बावजूद विशेष या जरुरी मामलों में जैसे बीमार मृत्यु आदि में मुलाकात एवं पत्र व्यवहार सुविधा में जेल अधीक्षक के द्वारा रियायत दी जावेगी।
घ	**विचाराधीन कैदियों को**	**जेल अधीक्षक द्वारा**
		1. सिविल तथा विचाराधीन कैदियों से भेंट हेतु रिश्तेदारों मित्रों तथा विधिक सलाहकारों को भेंट करने तथा पत्र व्यवहार से अच्छे आचरण की शर्ते पर 2. युक्तियुक्त सुविधा (692)सप्ताह में एक बार
ड	**भेंट की प्रक्रिया, समय तथा स्थान**	**भेंट हेतु आवेदन**
		1. कैदियों से भेंट हेतु आवेदन लिखित या मौखिक जेल अधीक्षक के विवेकानुसार (676) 2 विचाराधीन कैदियों के लिए उचित विवरण

		के साथ विधिक सलाहकारों की लिखित आवेदन के पश्चात (95) **समय** भेंट के लिए अनुपात समय साधारणतः 20 मिनट होगा।
		प्रक्रिया
		दण्डित कैदियों की जेल अधिकारी की उपस्थिति में भेंट विचाराधीन कैदियों के मामले में अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं (682, 696)
		तलाशी
		सभी कैदियों (दण्डित व विचाराधीन) मुलाकात के पूर्व तथा पश्चात सावधानी पूर्वक तलाशी ली जावेगी
च	**डिटेन्यू को मुलाकात एवं पत्र सुविधा**	**साक्षात्कार**
		आवेदन उस जिला मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा निरोध का मूल आदेश जारी किया गया हैं ।
		मुलाकात का स्थान एवं अवधि
		अधीक्षक द्वारा रिश्तेदार से अधिकतम एक घंटे तक तथा अन्य किसी व्यक्ति को अधिकतम आधे घंटे की अनुमति दी जायेगी ।
		तलाशी
		साक्षात्कार के पूर्व एवं पश्चात तलाशी ली जावेगी।
		प्रकिया
		ऐसे अधिकारी की उपस्थिति और ऐसी स्थिति में जिसमें वह साक्षात्कार दिया जायेगा

छ	जिला मजिस्ट्रेट को विशेष परिस्थितियों में साक्षात्कार के अधिकार	समय
		15 दिन में एक से अधिक नहीं और एक साक्षात्कार में 03 से अधिक आगन्तुक नहीं होंगे।

समस्त जेंले जिला मजिस्ट्रेट के अधीन रहती है ।

जेल प्रशासन –

प्रदेश की जेलों का सीधा नियंत्रण जेल मुख्यालय से रहता हैं। प्रदेश की केन्द्रीय जेल, जिला जेल पर जेल अधीक्षक पदस्थ हैं तथा उप जेलों पर जेल अधीक्षक का प्रभार मुख्य चिकित्सक अथवा वरिष्ठ चिकित्सक के पास रहता है। जेल अधीक्षक पूर्ण रूप से अपनी जेल की समस्त व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता हैं।

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल (उपक्रम) एवं संस्थाओं का विवरण

जेल विभाग के अन्तर्गत कोई मण्डल (उपक्रम) एवं संस्था कार्यरत नहीं हैं।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारीः –

प्रदेश में **27 जेलें** कार्यरत रहीं तथा इन जेलों में औसत बंदी संख्या दिनांक **31.12.2006** की स्थिति में **10360** बंदी परिरूद्ध रहे,

जिसमें दण्डित बंदियों की संख्या **4274** विचाराधीन बंदियों की संख्या **6075** एवं अन्य श्रेणी के **11** बंदी परिरूद्ध रहें।

न्यायालयों द्वारा सश्रम कारावास की सजा प्राप्त बंदियों को जेल के प्रतिदिन के कार्य के साथ सह उत्पादन के लिए जेलों में संचालित उद्योगों में कार्य दिया जाता हैं। जेल के अधिकारी का यह चिंतन रहता हैं कि बंदियों को किस प्रकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जिससे वह जेल से रिहाई के उपरान्त अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सके। इस प्रशिक्षण में क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दण्डित बंदियों को जो उद्योग तथा अन्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, कुशल को प्रतिदिन 15 रू एवं अकुशल को 12 रूपये पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, तथा अर्जित राशि में से 50 प्रतिशत पीड़ित पक्ष के लिए सुरक्षित रखा जा रहा हैं। वृद्ध, अशक्त तथा बीमार बंदियों को किसी प्रकार का कार्य अथवा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता हैं किन्तु बंदी के द्वारा कार्य की इच्छा व्यक्त की जाती हैं तो चिकित्सक के परामर्श के बाद '' जेल नियमावली 650 एवं 834 के अन्तर्गत '' सरल तथा हल्के कार्य प्रदान किये जाते हैं इसी प्रकार विचाराधीन बंदियों से किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाता हैं।

किन्तु अगर विचाराधीन बंदी अपनी इच्छा से कार्य करने हेतु आवेदन देता हैं तो उसे कार्य पर लगाया जाता हैं तथा सश्रम कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समान भोजन प्रदान किया जाता हैं ।

प्रदेश की जेलों में प्रायः जेलों के तथा बंदियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है साथ ही आम उपयोग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

जैसे :–

- साबुन
- फिनाईल
- मसाले
- बंदी वस्त्र
- फर्नीचर उद्योग
- बंदी वस्त्र
- बेलमेटल उद्योग
- टेराकोटा उद्योग
- शीशम एवं जूट उद्योग
- वुडकार्विंग उद्योग
- बांस शिल्प उद्योग
- प्रिंटिग प्रेस उद्योग
- फिनाईल उद्योग
- पावरलूम

इसके अतिरिक्त कार्यालय के उपयोग हेतु वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हैं।

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम

वर्ष 2006 के सांस्कृतिक,धार्मिक, आध्यमिक कार्यक्रम

2.01.2006से 07.01.2006	सभा भवन में व्यक्ति विकास केन्द्र शंकर नगर रायपुर आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक कोर्स बंदियों के आयोजन बंदियों हेतु किया गया ।
12.01.2006	व्यक्ति विकास केन्द्र आर्ट ऑफ लिविंग रायपुर ईकाई के सदस्य प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा सुदर्शन क्रिया का फालोअप बंदियों को कराया गया ।
19.01.2006	व्यक्ति विकास केन्द्र आर्ट ऑफ लिविंग रायपुर ईकाई के सदस्य प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा सुदर्शन क्रिया का फालोअप बंदियों को कराया गया ।

04.02.2006	इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रायपुर शाखा द्वारा बंदियों को प्रवचन दिये साथ ही श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक एवं फल वितरित किये ।
23.02.2006	श्री योग वेदान्त समिति संत श्री आशाराम के शिष्य श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा कैदी उद्भव विशेष कार्यक्रम मे उपस्थित होकर प्रवचन दिये तथा बापूजी के प्रवचन की विडियों फिल्म बंदियों को दिखाया गया । इस कार्यक्रम में योग वेदान्त सेवा समिति के सदस्य एवं जेल अधिकारीगण उपस्थित रहें ।
26.02.2006	महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा विशेष सत्संग का आयोजन बंदियों हेतु रखा गया ।
02.03.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री योगेश पसरिया द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
11.03.2006	श्री योग वेदान्त सेवा समिति रायपुर द्वारा संत श्री आशाराम बापू के प्रवचन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया तथा बंदियों को पुस्तकें एवं प्रसाद वितरण किया गया ।
24.03.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के सदस्य प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
11.04.2006	चर्च ऑफ गॉड चरौदा एवं टाटीबंध रायपुर छ.ग. से गुड फ्राइडे के अवसर पर गिरिजाघर से आये हुए सदस्यों द्वार प्रभु यीशु के भजन के माध्यम से प्रार्थना किये जिसमें बंदियों ने सम्मिलित होकर प्रार्थना किये ।
15.04.2006	संत श्री आशाराम बापू के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर श्री योग वेदांत सेवा समिति रायपुर के सदस्यों द्वारा बंदियों हेतु व्याख्यान एवं भजन किर्तन का कार्यक्रम किया गया तथा बंदियों को पुस्तकें एवं प्रसाद वितरण किया गया ।

16.04.2006	संत जोसेफ महागिरजाधर बैरन बाजार रायपुर एवं दो गिडियन्स इन्टरनेशनल इन इंडिया रायपुर से आये हुये सदस्यों द्वारा ईसाई समाज के बंदियों एवं फल वितरित किया गया ।
20.04.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षक श्री अश्वनी कुमार जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फालोअप कराया गया।
04.05.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षक श्री अश्वनी कुमार जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फालोअप कराया गया।
08.05.2006 से 13.05.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री योगेश पसरिया द्वारा 6 दिवसीय बेसिक कोर्स (सुदर्शन क्रिया) कराया गया, जिसमें 80बंदियों ने हिस्सा लिया ।
13.05.2006	श्री श्री रविशंकर के अवतरण दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के सदस्यों द्वारा बंदियों के बीच विशेष सत्संग का कार्यक्रम किया गया।
19.05.2006से 23.05.2006	पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में पतंजलि योग समिति द्वारा बंदियों हेतु योग शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में बंदियों को प्राणायाम, योगासन,ध्यान, कुंडलिनी जागरण आदि का प्रशिक्षण दिया गया ।
25.05.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री योगेश पसरिया द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
01.06.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री योगेश पसरिया द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
08.06.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री योगेश पसरिया द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।

10.06.2006	योग सेवा समिति रायपुर के सदस्यों द्वारा व्याख्यान एवं भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया गया तथा बंदियों को पुस्तकें एवं प्रसाद वितरण किया गया ।
11.06.2006	श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा, सेंदरी कोनी थाना के पास बिलासपुर के संस्था के सदस्यों द्वारा बंदियों को उपदेश देने हेतु आये सदस्यों द्वारा बंदियों को पुस्तकें एवं प्रसाद वितरण किया गया ।
15.06.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
18.06.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के सदस्यों द्वारा सत्संग का कार्यक्रम किया गया जिसमें बंदियों ने हिस्सा लिया ।
22.06.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
29.06.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
02.07.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के सदस्यों द्वारा सत्संग का कार्यक्रम किया गया जिसमें बंदियों ने हिस्सा लिया ।
06.07.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
11.07.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के सदस्यों गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बंदियों हेतु विशेष सत्संग का आयोजन किया गया ।

17.07.2006	शिवाजी का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था रुद्राभिषेक तांत्रिक पुष्पेन्द्र दुबे द्वारा किया गया ।
20.07.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
27.07.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री अश्वनी जग्गी द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
08.08.2006	प्रजापति ब्रम्हाकुमारी विश्वविद्यालय रायपुर से ब्रम्ह कुमारी बहनों बंदियों को राखी बांधकर मिठाई वितरण किया गया
08.08.2006	राष्ट्र संत श्री कमलमुनि एवं अन्य मुनिगण साथ में श्री आनंद चातुर्मास समिति के गणमान्य नागरिकों द्वारा बंदियों को प्रवचन दिये ।
08.08.2006	जैन समाज के महिलाओं ने बंदियों को राखी बांधकर प्रसाद वितरण किया ।
08.08.2006	रोटरी क्लब के सदस्यगणों श्री व्यास जी एवं अन्य बंदियों को अच्छे मार्गदर्शन देने आयें ।
15.08.2006	रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कास्मो पालिटन एण्ड मिलेनियम के सदस्य द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा होने वाले बंदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम रखा गया । रिहा होने वाले बंदियों को किट प्रदान किया ।
16.08.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के सदस्यों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के सुअवसर पर महासत्संग का कार्यक्रम बंदियों के बीच किया ।
07.09.2006	जैन साध्वी द्वारा बंदियों को धार्मिक उपदेश एवं अच्छे ज्ञान एवं मार्गदर्शन बतायें।
21.09.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण श्री योगेश पसरिया द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया ।
23.09.2006	श्री योग वेदान्त सेवा समिति रायपुर के समिति के अध्यक्ष श्री रमेश झक्कर एवं अन्य सदस्यगण द्वारा बंदियों को

	सत्संग एवं भजन कीर्तन की कार्यक्रम रखा गया ।
28.09.2006	शिवसेना प्रमुख श्री धनजंय परिहार के द्वारा नवरात्रि पर्व के अवसर पर उपवास रखने वाले बंदियों को फल वितरित किया गया ।
03.10.2006	डॉ. प्रवीण शर्मा लायंस रायपुर द्वारा गांधी जयति एवं लायंस सेवा सप्ताह के अंतर्गत जेल में भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस मौके पर लायंस क्लब के सदस्यगण उपस्थित रहे ।
05.10.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के प्रशिक्षण द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया एवं सत्संग किया गया।
08.10.2006	विश्व जागृति मिशन रायपुर मंडल (आचार्य श्री सुंधाशु जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था) द्वारा बंदियों को सद्गुरु विचारों का विडियों भक्ति सत्संग दिखाया गया ।
19.10.2006से 26.10.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया
09.11.2006	आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति विकास केन्द्र रायपुर ईकाई के द्वारा बंदियों को सुदर्शन क्रिया का फॉलोअप कराया गया
14.11.2006	श्री योग वेदांत सेवा समिति रायपुर से समिति के अध्यक्ष श्री रमेश झक्कर एवं अन्य सदस्यगणों द्वारा संत अशाराम बापू के उपदेश एवं भजन कीर्तन बंदियों को सुनायें ।
26.11.2006	सिख समाज द्वारा गुरुनानक देव जी के संबंध में प्रवचन, कीर्तन किया गया इस मौके पर श्री दिलीप सिंह होरा एवं अन्य सिक्ख गणमान्य उपस्थित रहें ।
09.12.2006	श्री योग वेंदान्त सेवा समिति रायपुर से समिति के अध्यक्ष श्री रमेश झक्कर एवं अन्य सदस्यगणों द्वारा संत आशाराम बापू के उपदेशों पर बंदियों को चलना बताये एवं भजन कीर्तन किया गया ।
18.12.2006	गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री

	गुरु रुद्रकुमार तथा सतनामी समाज के गणमान्य जन अशासकीय संदर्शकगण एवं मीडिया वाले के उपस्थिति में पूजा अर्चना कर गुरु घासीदास के बताये अनुसार आचरण करने एवं मार्ग पर चलने का संदेश दिया इस मौके पर बाहर से आये पंथी पार्टियों (1) पंथी पार्टी बिरगांव (2) जय सतनाम पंथी पार्टी (3) जय सतनाम पंथी पार्टी सेन्चुवा (4) नवीन पंथी पार्टी पिरदा (5) सत्यदर्शन पंथी पार्टी मानपुर (6) संत के दिया पंथी पार्टी भुलगुला (7) सत्य के फुलवारी पंथी पार्टी बिरगांव (8) जय सतनाम पंथी पार्टी बनडभरा (9) जय सतनाम जागृति पार्टी भोथीडीह एंव जेल के पंथी पार्टी द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक पंथी नृत्य का प्रदर्शन किया गया ।
21.12.2006	केपीटल पास्टर्स फेलोशीप संस्था, श्यामनगर रिवग्राम रायपुर द्वारा क्रिसमस पर्व पर क्रिसमस के पूर्व प्रार्थना मसीह समाज के बंदियों के साथ किया गया ।
24.12.2006	बाहर से आये सिक्ख प्रवचनकर्ता द्वार गुरुनानक देव का सिक्ख बंदियों के साथ मिलकर कीर्तन किये ।
25.12.2006	संत जोसेफ महागिरजाघर बैरन बाजार रायपुर एवं दी गीडियन्स इंटरनेशनल इन इंडिया रायपुर द्वारा क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में प्रभू यीशू का संदेश बंदियों दिया गया था बंदियों के लिए विशेष प्रार्थना की गई ।

महिला प्रकोष्ठ केन्द्रीय जेल रायपुर

22.02.2006	आशाराम बापू सेवा आश्रम समिति की बहने आयी, संत श्री आशाराम बापू के प्रवचन सी.डी. द्वारा महिला बंदियों को दिखाया गया एवं हरिओम का जाप कराया गया ।
06.03.2006	आदर्शदीप अक्षमता पुनर्वास केन्द्र से डॉ. आशु गोयल ,लता मिश्रा व शशि गोस्वामी आयी। महिला बंदियों को प्राणायाम व राजयोग करना सिखायें एवं कीर्तन किये ।
08.03.2006	ईशुधाम से क्रिश्चन महिलाये आयी एवं महिला बंदियों के साथ प्रार्थना किये।

08.03.2006	जन कल्याण समिति तथा महिला कांग्रेस की 7 महिला सदस्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बंदियों को महिला सशक्तिकरण की सीख दी।
11.03.2006	संत आशाराम योग वेदांत सेवाश्रम समिति से 6 बहने आयी एवं महिला बंदियों के साथ भजन गाये एवं पूजा किया साथ ही आशाराम बापू के प्रवचन की सी.डी. दिखायी गयी
03.09.2006	तेरा पंथ जैन युवक परिषद द्वारा सप्ताहिक प्रवचन जैन साध्वी समणी शशि प्रज्ञा जी द्वारा महिला बंदियों को दिया गया एवं संकल्प शक्ति तथा सहिष्णुता व सेवा भावना के विकास के लिये प्रेरित किया ।
04.09.2006	तेरा पंथ जैन युवक परिषद द्वारा प्रवचन कार्यक्रम के तहत साध्वी समणी शशि प्रज्ञा जी एवं नंदी प्रज्ञा जी द्वारा महिला बंदियों को प्रवचन तथ भजन सुनाया ।
26.09.2006	लायंस वुमेन क्लब की अध्यक्ष श्रीमति शशि ठाकुर, सरिता द्विवेदी व अन्य सदस्यगण आये महिला बंदियों के 15–15 सदस्यों के दो ग्रुप के बीच जसगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।
30.09.2006	लायंस क्लब की सदस्यों द्वारा महिला बंदियों के बीच गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
18.12.2006	गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर बंदी महिलाओं ने घासीदास बाबा की पूजा अर्चना की एवं भजन गाये ।
20.12.2006	क्रिशमस त्योहार के आगमन की खुशी पर ईशुधाम की महिला सदस्यों द्वारा महिला खण्ड में ईशु प्रार्थना, कहानी व डाण्डिया नृत्य दिखाया ।
25.12.2006	गिडयन्स चर्च से पांच महिला सदस्य आयी एवं महिला बंदियों के साथ ईशगान एवं कैरोल गाये तथा प्रार्थना किया

उप जेल धमतरी

13.08.2006	संत आशाराम बापू योग वेदांत सेवा समिति धमतरी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया ।
08.10.2006	संत आशाराम बापू योग वेदांत सेवा समिति धमतरी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया ।

19.11.2006	संत आशाराम बापू योग वेदांत सेवा समिति धमतरी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया ।

उप जेल महासमुंद

प्रत्येक रविवार	प्रजा पिता ब्रम्ह कुमारी विश्व विद्यालय संस्थान द्वारा आधात्मिक कार्यक्रम, प्रवचन किया जाता है।
प्रत्येक माह के रविवार	संत श्री आशाराम बापू जी का सत्संग ध्यान एवं योगाभ्यास का कार्यक्रम दिया जाता है।
प्रत्येक रविवार	बाबा रामदेव जी को योग कैसेट से अभ्यास का प्रयास
16.08.2006	रामायण भजन कार्यक्रम
24.08.2006	भद्र पर्व पर रामायण भजन कार्यक्रम
02.10.2006	गांधी जयन्ती पर रामायण पाठ का गायन
18.12.2006	गुरु घासीदास जयन्ती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

उप जेल बलौदाबाजार

26.01.2006	बंदियों द्वारा गणत्रंत दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया ।
23.02.2006से 26.02.2006	स्वामी रामदेव बाबा के शिष्यों द्वारा जेल में योग शिविर का अयोजन किया गया ।
05.03.2006से माह के द्वितीय रविवार	श्री आशाराम बापू जी के शिष्यों द्वारा बौद्धिक एवं अध्यात्मिक प्रवचन किया जा रहा है।
09.08.2006	प्रजापिता ब्रम्हकुमारी बहनों द्वारा जेल में सभी बंदियों को राखी बाध धार्मिक एवं अध्यात्मिक प्रवचन किया गया ।

उप जेल गरियाबंद

26.01.2006	गणत्रंत दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर गरियाबंद द्वार गीत गान भाषण कार्यक्रम किया गया ।
13.05.2006	आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा अध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया ।
09.08.2006	ब्रम्ह कुमारी प्रजापिता विद्यालय के बहनों ने बंदियों को रक्षा बंधन के पर्व पर राखी बांधी तथा सरस्वती शिशु मंदिर महिला मण्डल द्वारा बंदियों को राखी बांध कर आध्यात्मिक ज्ञान दिया ।

15.08.2006	ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया एवं गरियाबंद के गणमान्य नागरिकों द्वारा इस अवसर पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया ।
07.09.2006	आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा अध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया ।
05.11.2006	आशाराम बापू के अनुयायियों द्वारा अध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया ।

बंदियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण

प्रदेश की जेलों में बंदियों को विभिन्न प्रकार के उद्योग से संबंधित जैसे :–

- सिलाई
- बुनाई
- बढ़ई
- लोहारी
- वुडकार्विंग
- साबुन एवं वाशिंग पावडर
- ऑफसेट प्रिंटिंग एवं स्क्रीन प्रिंटिंग
- पावरलूम
- कम्बल निर्माण
- बेलमेट
- फिनाईल
- लकड़ी के तखत
- आफिस चेयर, केन वाला
- कुशन वाला सादा
- छात्र चेयर
- ब्लैक बोर्ड
- आलमारी
- कैश काउन्टर
- सोफा –सेट, कुशन, केन
- कन्डूप पाईप की टेबल टॉप लेमिनेशन शीट
- टाट पट्टी

- दरी विभिन्न साईजों में
- गलीचा
- जी.आई. पेटी, टापा, बाल्टी
- काष्टकला, लकड़ी नक्काशी
- बेल मेटल
- आफिस टेबल विभिन्न साईज की
- छात्र टेबल
- बेन्च
- कान्फ्रेंस टेबल
- रैक
- लग्जरी सोफा–सेट
- कन्डूप पाईप कुर्सिया
- राड़, आयरन की कुर्सिया
- चॉक
- विभिन्न प्रकार के गणवेश सिलाई
- मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया
- वाशिंग पावडर
- निवाड़
- कूलर
- जूट के सजावटी सामान
- सभी प्रकार के फर्नीचर
- टेराकोटा

आदि का प्रशिक्षण प्रशिक्षित बंदियों एवं प्रशिक्षकों के माध्यम से दिये जा रहे हैं। केन्द्रीय जेलों में महिला बंदियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

द. स्वास्थ्य

प्रदेश की जेलों में शासकीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं के द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं जहां समस्त बंदियों का परीक्षण समय समय पर किया जाता हैं तथा अस्वस्थ्य बंदियों को तत्काल उपचार प्रदान किया जाता हैं।

प्रदेश के जेल चिकित्सालयों को आधुनिक बनाने हेतु पैथालाजी लेब/एक्स–रे मशीन एवं आधुनिक सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा आवश्यकता होने पर बंदियों को जेल के बाहर चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेजों से संबंधित चिकित्सालयों तथा जिन बीमार बंदियों का उपचार जिला चिकित्सालों में संभव नहीं हो पाता हैं ऐसे बीमार बंदियों को चिकित्सक के परामर्शानुसार राज्य के बाहर भी परीक्षण एवं उपचार हेतु भेजा जाता हैं। जेलों में आवश्यक दवायें रखी जाती हैं तथा आकस्मिक आवश्यकता पर दवायें तुरन्त स्थानीय बाजार से क्रय की जाती हैं।

टी. बी. रोग से ग्रसित बंदियों के नियमित उपचार एवं परीक्षण के लिए मानव अधिकार आयोग एवं शासन निर्देशानुसार प्रदेश की केन्द्रीय जेलों में एक–एक टी.बी.रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की पदस्थापना किया जाना प्रस्तावित हैं जो शासन स्तर पर विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय जेल रायपुर में टी. बी. रोग से ग्रसित बंदियों को दवा खिलायी जाती हैं तथा इन्हें बंदियों से पृथक रखा जाता हैं तथा पोषक आहार दूध, अण्डा प्रदाय किया जाता हैं। सभी असक्त एवं वृद्धावस्था की

कमजोरी से पीड़ित बंदियों को चिकित्सक के परामर्शानुसार पोषक आहार दूध, अण्डा प्रदाय किया जाता हैं।

केन्द्रीय जेल रायपुर में महिला बंदियों के साथ रह रहे उनके बच्चों के विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर लगाया गया था जिसमें शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज अस्पताल रायपुर के वरिष्ठ विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। केन्द्रीय जेल बिलासपुर, जगदलपुर में नवीन चिकित्सा उपकरण क्रय किए जाकर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे बंदियों के त्वरित चेक–अप एवं उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। विशेष अभियान चला कर बंदियों, नम्बरदारों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है। इनका मुख्य कार्य अपने – अपने बैरिक में बीमार बंदियों को पता लगाना तथा यथासमय उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। इसके साथ ही उनके मुख्य कार्य भी निर्धारित किये गये हैं जो निम्नानुसार है :–

1. बैरक में किसी भी बंदी को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होने पर उसे अस्पताल पहुंचाना।
2. बीमार बंदियों को नियत समय पर अपने समक्ष दवाई खिलाना एवं दवा समाप्त होने पर पुनः अस्पताल ले जाना।
3. बैरक में किसी भी बंदी को दो सप्ताह से ज्यादा समय तक खांसी आती हैं एवं बलगम निकलता हैं तो उसे अस्पताल ले जाना।

4. इन बीमारियों से पीड़ित बंदियों को लम्बी अवधि तक उपचार जारी रहता हैं– उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, टी.बी. रोग, मिरगी, लकवा एवं वृद्ध तथा कमजोर बंदी, इन सभी बंदियों को नियमित रूप से अस्पताल ले जाना एवं समय पर दवाई खिलाना ।
5. कोई बंदी बैरक में गुमसुम बैठा रहता हैं व किसी से बात नहीं करता है या खाना नहीं खाता है तो उसे अस्पताल ले जाना ।
6. किसी भी बंदी को खाज खुजली होने पर अस्पताल लाना तथा उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने एवं शरीर की सफाई रखने हेतु ध्यान देना ।
7. बैरक में साफ सफाई का ध्यान रखना ।
8. पानी के घड़ो को साफ करवाना व ढक कर रखवाना।
9. बंदियों के खाना खाने के बर्तनों की साफ–सफाई का ध्यान रखना।
10. सभी बंदी साफ सुथरे कपड़े पहने इसका ध्यान रखना।

रक्तदान

2006 में स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले बंदियों की जानकारी :–

केन्द्रीय जेल बिलासपुर

1. विजय कुमार आ. रेशम लाल
2. मुकेश दास आ मैनुदास
3. शत्रुहन आ. रामरतन

4. सिराजखान आ. हबीबखान
5. प्रदीप आ. रूपधर
6. जगतराम आ. धीरजा
7. राजेन्द्र साहू आ. महासिंह
8. विक्की उर्फ गौतम आ. उमेश
9. आशिष सिन्हा आ.आर.बी. सिन्हा
10. विजय कुमार आ. रेशमलाल

केन्द्रीय जेल अंबिकापुर

1. राजकुमार पाण्डेय आ. बृजराज पाण्डेय
2. संतोष सोनी आ. नन्दलाल सोनी
3. जयराज तिवारी आ. मधुसुदन तिवारी
4. राजू खन्ना आ. जगजीत सिंह
5. पवन गवेल आ. केशवप्रसाद

जिला जेल रायगढ़

1. हमीद खान आत्मज कपीर खान
2. दिगम्बर लाल आत्मज पारस राम
3. देव कुमार महापात्र आत्मज मीहिर महापात्र
4. हसन अंसारी आत्मज कुर्बान अंसारी

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय – 31.12.2006 की स्थिति

अ.क्र	जेल श्रेणी	जेलों की संख्या
1.	केन्द्रीय जेल	04
2.	सर्किल जेल	01
3.	जिला जेल	05
3.	उप जेल	17
	योग	**27**

परिरूद्ध बंदियों का विवरण

अनुक्रमांक	विवरण		परिरूद्ध बंदियों की संख्या (**31.12.2006** की स्थिति में)
1.	जेलों की अधिकृत आवास क्षमता	–	**5299**
2.	परिरूद्ध बंदियों की संख्या	–	**10360**
3.	क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत	–	**95**

बंदियों का वर्गीकरण 31.12.2006 की स्थिति में

1.	दण्ड़ित बंदी	–	**4274**
2.	विचाराधीन बंदी	–	**6075**
3.	अन्य बंदी	–	**11**
		योग –	**10360**

बंदियेा का आयुवार वर्गीकरण 31.12.2006 की स्थिति में

	दण्डित	/विचाराधीन बंदी	/योग
16 वर्ष से कम	–	–	–
16 वर्ष से 21	78	1111	1189
21 वर्ष से उपर	4196	4964	9160
योग	**4274**	**6075**	**10349+11** **10360**

प्रदेश की जेलों में बंदियों की औसत संख्या

(31.12.2006 की स्थिति में)

क्र.	दण्डित बंदी	विचाराधीनबंदी	योग
1.	4274	6075	10349+11(अन्य) (10360)

बंदियों के लिए पुस्तकालय

बंदियों के मानसिक बौद्धिक विकास एवं ज्ञान बुद्धि तथा मनोरंजन के लिए जेलों पर पुस्तकालय की व्यवस्था हैं जिसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकों का संग्रह हैं । इनमें विशेष रूप से महापुरूषो की

जीवनी, सामान्य ज्ञान, बागवानी, कृषि, पशुपालन, तथा अन्य समसमायिक घटनाओं का साहित्य उपलब्ध कराया गया है । जेलों को श्रेणी के अनुसार निश्चित वार्षिक धनराशि पुस्तकें क्रय करने के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं, नियमानुसार बंदियों को विभिन्न समसामयिक पत्र–पत्रिकाएं एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र तथा साप्ताहिक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

बंदी कल्याण योजनाएं

बंदी कल्याण हेतु जेलों में कल्याण अधिकारी एवं परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त हैं, जो बंदियों की कल्याण संबंधी योजनाओं का कार्य देखते हैं ।

वर्तमान में बंदी कल्याण की निम्न योजनाएं लागू हैं :–

1. आजीवन कारावास एवं अन्य बंदियों को परिवीक्षा पर या 14 वर्ष की सजा पूर्ण होने पर जेल से रिहा कर दिया जाता हैं ।
2. पहले दो वर्षो की सजा पूर्ण कर लेने के बाद बंदियों को वर्ष में एक बार अस्थाई मुक्ति पर रिहा होने की पात्रता होती हैं और फिर वह प्रतिवर्ष इस सुविधा का पात्र होता हैं।
3. परिवार में विवाह एवं मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर 15 दिन तक की आपात रिहाई भी मंजूर करने का प्रावधान हैं

4. आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदियों के रिहाई के संबंध में देश के विभिन्न राज्यों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्टेट सेन्टेंस रिव्यू बोर्ड का गठन किया गया है। आलौच्य अवधि में स्वतंत्रता दिवस, गुरू घासीदास जंयती एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट बंदी 14 वर्ष का वास्तिवक कारावास पूर्ण कर रिहा होते रहे है, इस कारण किसी भी बंदी का प्रकरण स्टेट सेन्टेंस रिव्यू बोर्ड के समझ प्रस्तुत किये जाने हेतु मैच्योर्ड नहीं हो पाया फलतः आलौच्य अवधि में स्टेट सेन्टेंस रिव्यू बोर्ड की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है ।

5. राज्य में बंदियों के सशर्त मुक्ति हेतु राज्य परिवीक्षा मण्डल का गठन किया गया है। इस परिवीक्षा मण्डल की वर्ष 2006 में कुल 02 बैठक आयोजित हुई जिसमें कुल 48 प्रकरणों पर विचार किया गया, इन प्रकरणों में 11 बंदी सशर्त अनुज्ञप्ति पर रिहा किए गए।

जेलों में बंदी अनुशासन

आलोच्य वर्ष 2006 में प्रदेश की जेलों में बंदीगण अनुशासित रहें। राज्य की जेलों से 11 (जेल अभिरक्षा) एवं 14 (पुलिस अभिरक्षा) में फरारी हुई है।

बंदी पारिश्रमिक योजना

राज्य शासन के अनुसार बंदियों को निम्न दरों पर पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान हैं।

क्र	बंदियों का श्रेणी/प्रकार	पारिश्रमिक दर
1.	जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए (प्रतिबंदी प्रतिदिन आधे दिवस के कार्य हेतु)	रू. 15.00
2.	जेल सेवा उद्योग कार्यो में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रतिबंदी प्रतिदिन आधे दिन कार्य के लिए)	रू. 12.00
3.	कृषि कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रतिबंदी 6 घंटे प्रतिदिन के कार्य हेतु)	रू. 12.00

पारिश्रमिक राशि का 50 प्रतिशत बंदी को एवं 50 प्रतिशत उनके पीड़ित पक्ष को दिये जाने का प्रावधान हैं।

वर्ष 2006–2007 में प्रदेश की जेलों में बंदी पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय की जानकारी :–

क्र.	वर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय
1.	2006 – 2007	2,20,00,000/–	11214050/–

जेल उद्योग :–

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों में विभिन्न उद्योग कार्यरत हैं जिनमें प्रमुख हैं :– बुनाई, सिलाई, बढ़ई कार्य, प्रिटिंग प्रेस (स्क्रीन एवं ऑफसेट), लुहारी उद्योग, मसाला उद्योग, साबुन एवं वाशिंग पावडर उद्योग, वुडकार्विंग, कम्बल, टेराकोटा, पावरलूम, बेलमेट, कोसा एवं जूट उद्योग।

इन उद्योगों को संचालित करने का मुख्य उद्‌देश्य बंदियों को व्यस्त रखना एवं उन्हें सजा समाप्ति पश्चात् आजीविका उपार्जन में सुविधा दिलाना है, ताकि जेल से रिहाई के पश्चात् अपने पुनर्वास हेतु स्वावलंबी रहे तथा अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।

केन्द्रीय जेल रायपुर स्थित महिला प्रकोष्ठ में महिला बंदियों के द्वारा कढ़ाई, बुनाई, सिलाई तथा काथा कढाई आदि कार्य किये जाते हैं। अशासकीय महिला समाज सेवी संगठनों के द्वारा जेल में परिरूद्ध महिला बंदियों को काथा कढाई का प्रशिक्षण दिया गया है। इस आर्ट में महिला बंदी धागे से कोसा कपड़े में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करती हैं।

31 दिसम्बर 2006 की स्थिति में जेल उद्योग में उत्पादित सामग्रियों की बिक्री से **कुल रूपये 7366649/–** आय प्राप्त हुई है।

जेल उद्योग में वर्ष 2006 – 2007 में प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी

अ.क्र. उद्योग का नाम	स्वीकृत बजट	व्यय
1524 जेल उत्पादन 25सामग्री और पूर्तिया 001 भण्डार तथा कच्चा माल के अन्तर्गत	110,00,000/–	79,67,515/–

भाग दो

बजट सिंहावलोकन

जेल विभाग ऐसा विभाग हैं जहां प्रत्येक खर्च अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं जिस किसी भी परिस्थिति में कम अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता है जैसे बंदियों के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधायें जो निश्चित धनराशि पर स्वीकृत नहीं हैं। अपितु स्केल निर्धारित हैं नियमों के अधीन खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जेल के अंदर प्रविष्ट होने वाले बंदियों की संख्या भी निश्चित नहीं होती हैं एवं आन्दोलन आदि के कारण जेलों पर अप्रत्याशित वृद्धि से अप्रत्याशित व्यय बढ़ जाता हैं ।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 का बजट प्रस्ताव राशि एवं स्वीकृत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं :–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय
2006–2007	39,65,29,700/–	28,72,55,971/–

(31 दिसम्बर 2006 की स्थिति में)

मूलभूत योजना जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण

भारत सरकार के मेंचिग ग्रांड 75.25 योजना के अन्तर्गत छ.ग. राज्य के लिए वर्ष 2002–07 तक के लिए राशि रूपये 37.37 करोड़ का एलोकेशन किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2005 एवं 2006 में मूलभूत योजना जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रूपये 14.94 करोड़ का कार्य अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्य अनुमोदित राशि से वर्ष 2006–2007 में राशि रूपये 10.5927 करोड़ विमुक्त किये जाने से राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 3.5305 करोड़ उपलब्ध कराई गई है। कुल रूपये 14.1236 करोड में से रूपये 13.3736 करोड़ को लोकनिर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नवीन जेल का निर्माण मरम्मत, विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्धार, जेल कर्मचारी आवास निर्माण एवं जल प्रदाय स्वच्छता के लिए आवंटित किया गया है। शेष राशि रूपये 75.00 लाख में से सुरक्षा उपकरण क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है ।

योजना के अंतिम वित्तीय वर्ष 2006– 2007 में मूलभूत योजना जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना हेतु राज्य शासन के शसक्त समिति द्वारा अनुमोदन करते हुए,वर्ष 2006–2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान में केन्द्रांश राशि रूपये 6.2298 करोड़ राज्यांश की राशि रूपये 2.0766 करोड़ कुल रूपये 8.3064 करोड़ का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा शामिल किया गया है, परन्तु भारत सरकार

द्वारा केन्द्रांश राशि विमुक्त नहीं किये जाने से राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 8. 364 करोड़ का कार्य एवं आवंटन जारी नहीं किया गया ।

अन्य योजनायें:—

राज्य वार्षिक योजना मण्डल द्वारा वर्ष 2006 एवं 2007 में प्रावधानित राशि रू. 641.30 लाख का वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत कर लोक निर्माण विभाग (भ/स) रायपुर को सौंपा गया है जिससे प्रदेश की जेलों में नीचे दर्शाये कार्य वित्तीय वर्ष में कराया जाना है जैसे :—

क.	जेल का नाम	कार्य का नाम	आबंटित राशि (लाखों में)
1.	जिला जेल कोरबा	कर्मचारी आवास निर्माण	1.00
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	महिला जेल में किचन शेड का निर्माण	15.00
3.	उप जेल सूरजपुर	जेल परिसर के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	5.00
4.	उप जेल रामानुजगंज	जेल परिसर के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	5.00
5.	जिला जेल जशपुरनगर	जेल परिसर की बाउन्ड्री वॉल ऊंचाई बढ़ाना	7.00
6.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	जेल परिसर की बाउन्ड्री वॉल ऊंचाई बढ़ाना	10.00
7.	जिला जेल बैकुण्ठपुर	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल ऊंचाई बढ़ाना	5.00
8.	उप जेल मनेन्द्रगढ़	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल ऊंचाई बढ़ाना	5.00
9.	जिला जेल राजनांदगांव	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल ऊंचाई बढ़ाना	5.00
10.	उप जेल डोंगरगढ़	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल ऊंचाई बढ़ाना	5.00
11.	नवीन उप जेल कवर्धा	भवन एवं स्टाफ क्वाटर्स का	20.00

		निर्माण	
12.	सर्किल जेल दुर्ग	5 बैरक का निर्माण	125.00
13.	सर्किल जेल दुर्ग	फ्लश टाईप लेट्रिन 5 नग 5 सीट की समूह वाली	3.75
14.	सर्किल जेल दुर्ग	स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण	140.05
15.	नवीन उप जेल बीजापुर	भवन निर्माण (सिविल कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य)	34.00
16.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाना	15.00
17.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाना	175.50
18.	उप जेल दन्तेवाड़ा	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाना	5.00
19.	उप जेल सुकमा	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाना	5.00
20.	उप जेल दन्तेवाड़ा	जिला जेल में उन्नयन करने बाबत्	15.00
21.	उप जेल नारायणपुर	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाना	5.00
22.	उप जेल कांकेर	जेल परिसर की बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाना	5.00
23.	उप जेल कांकेर	बैरक निर्माण कार्य	15.00
24.	केन्द्रीय जेल रायपुर	महिला जेल में किचन शेड का निर्माण	15.00
		योग	**641.30 लाख**

भाग तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

<u>विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण</u> –

जेल विभाग के कर्मचारियों का प्रमुख दायित्व बंदियों की सुरक्षा/शिक्षा/सुधार तथा स्वस्थ्य रखना इन समस्त स्त्रोतों के लिए समय –समय पर विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाता हैं। प्रतिवर्ष प्रदेश की जेलों से सहायक जेलरों को प्रशिक्षण हेतु लखनउ भेजा जाता हैं ।

वर्ष 2006 में प्रशिक्षण में सम्मिलित हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी:–

1. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वधान में जेल प्रबंधन में मानव अधिकार विषय में त्रिदिवसीय तीन प्रशिक्षण पाठ्य क्रम दिनांक 18.05.2006 से 26.05.2006 तक छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास संस्था निमौरा रायपुर में आयोजित किया गया ।

2 बंदियों के अधिकार एवं जेल सुधार विषय पर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था देवनार मुम्बई में आयोजित प्रशिक्षण में दिनांक 19.05.06 से 21.05.2006 में एक जेल अधीक्षक को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया

3. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वधान में दो जेल अधीक्षकों को 05.06.2006 से 10.06.2006 तक छः दिवसीय वार्टिकल इन्ट्रेकशन कोर्स हेतु जिला जेल प्रोथापुर पोर्ट व्लेयर अण्डमान निकोबार भेजा गया ।

5. लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा क्रिमनोलॉजी पर 116वां कोर्स दिनांक 24.07.2006 से 28.07.2006 तक प्रशिक्षण में 02 जेल अधीक्षक सम्मिलित हुये ।

6. सुधार प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान चंड़ीगढ़ द्वारा सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी चण्डीगढ़ समन्वय सेकम्प्यूटर स्कील्स एण्ड सायबर क्राईम्स का दिनांक 28.08.2006 से 01.09.2006 तक एक उपजेलर एवं एक सहायक जेलर तथा 13.11.2006 से 17.11.2006 तक आयोजित प्रशिक्षण में दो जेल अधीक्षकों को भेजा गया।

7. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वधान में जेल प्रबंधन में मानव अधिकार विषय पर क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्था बैलूर (तमिलनाडू) में 03–03 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 01.11.2006 से 15.11.2006 में आयोजित तीन सहायक जेलरों एवं एक मैट्रन को भेजा गया ।

8. 26वां एशियन एण्ड पेसेफिक कॉन्प्रेंस ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्टेटर्स आकलैण्ड, न्यूजीलैण्ड में आयोजित कॉन्प्रेंस में दिनांक 26.11.2006 से 01.12.2006 तक छ.ग.राज्य की ओर से जेल उपमहानिरीक्षक सम्मिलित हुये ।

9. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वधान में पुलिस एवं जेल पुस्ताकलय के आधुनिकीरण पर प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 27.12.2006 से 29.12.2006 तक राज्य के 01 जेल अधीक्षक को भेजा गया।

भाग चार

संवेदना –

परिरूद्ध महिला बंदियों के बच्चों के शिक्षा व्यवस्था हेतु के0जे0 रायपुर के 02 बच्चे, के0जे0 बिलासपुर से 06 बच्चे, एवं के0जे0 जगदलपुर के 06 बच्चे, के0जे0 अंबिकापुर के 06, बच्चों को पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, उक्त बच्चे प्रतिदिन महिला प्रहरियों के साथ पब्लिक स्कूल भेजे जाते हैं। सर्किल जेल दुर्ग के 03 बच्चों को स्वयं सेवी संस्था सेंट थॉमस भिलाई के सौजन्य से महिला शिक्षिका द्वारा प्रतिदिन जेल के बाहर नर्सरी में पढ़ाया जाता है ।

इसी प्रकार केन्द्रीय जेल बिलासपुर एवं के0जे0 अंबिकापुर में परिरूद्ध महिला बंदियों के बच्चों को जेल परिसरों में स्थित झूलाघरों में भेजे जाते है।

भाग पांच

सौजन्य –

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2006 के अवसर पर दण्ड़ित बंदियों को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विशेष परिहार के अन्तर्गत रिहा हुये एवं परिहार से लाभान्वित बंदियों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. जेलों से रिहा बंदियों की संख्या – 19
2. विशेष परिहार से लाभान्वित बंदियों की संख्या हैं – 438

वर्ष 2006 में 06 बंदी दया याचिका के अन्तर्गत शेष सजा माफ होने से जेलों से रिहा किए गए। वर्ष 2006 में परिवीक्षाधीन सःशर्त मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत 11 बंदी जेलों से रिहा किए गए।

राज्य शासन द्वारा 15 अगस्त 2006 स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदत्त विशेष परिहार का लाभ पाकर प्रदेश की जेलों से निम्नानुसार बंदी रिहा/लाभान्वित हुये ।

कुल रिहा हुये बंदी	–	48
लाभान्वित हुये पुरूष बंदी	–	494
महिला बंदी	–	20

छत्तीसगढ़ शासन जेल विभाग के द्वारा गुरूघासी दास जयंती पर्व 18 दिसम्बर 2006 के उपलक्ष्य में आजीवन कारावास के बंदियों को 14

वर्षीय योजना के अन्तर्गत 14 वर्ष पूर्ण होने पर जेल से रिहा करने के ऐतिहासिक निर्णय लिये गये जिसके परिप्रेक्ष्य में 18 दिसम्बर 2006 में प्रदेश की जेलों से रिहा/लाभान्वित हुये बंदियों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. छोटी सजा से रिहा हुये कुल पुरूष बंदियों की **संख्या – 11**
2. विशेष परिहार से लाभान्वित पुरूष बंदियों की **संख्या – 498**
3. विशेष परिहार से लाभान्वित महिला बंदियों की **संख्या – 17**

———**000**———